अध्याय - 9

महिलाओं की स्थिति एवं सुधार

आज अधिकतर लड़कियाँ स्कूल जाती हैं और कई स्कूलों में वे लड़कों के साथ भी पढ़ती हैं। बड़ी होने पर कॉलेज या विश्वविद्यालय जाती हैं एवं नौकरी भी करती हैं। उनके विवाह की उम्र कानून द्वारा तय है। यह विवाह किसी भी जाति या समुदाय में हो सकता है, विधवाएँ दुबारा विवाह कर सकती हैं, पुरुषों की तरह वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। इस प्रकार उनकी स्थिति में काफी सुधार आया है।

लेकिन दो सौ साल पहले के समाज को अगर आप देखें तो उस समय लड़कियों का स्कूल और कॉलेज में पढ़ना असाधारण बात थी। कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती थी। पर्दा प्रथा के कारण वे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भाग नहीं ले सकती थी। विधवाओं को दोबारा विवाह करने की इजाजत नहीं थी। उनका जीवन अकेलापन और कठिनाइयों में बितता था। हिन्दु समाज में विधवाओं को सती होना पड़ता था अर्थात अपने मरे हुए पति के साथ चिता पर उन्हें जला दिया जाता था। समाज में पुरुषों को सारी सुविधाएँ प्राप्त थीं और महिलाएँ इन सब से वंचित थीं। धर्म और संस्कृति के नाम पर उनके साथ भेद–भाव किया जाता था।

भारतीय समाज में लम्बे समय से स्त्री–पुरुष के बीच एक असमानता की स्थिति बनी रही है। इस पर अंग्रेजों द्वारा प्रश्न चिह्न लगाया गया। चूँकि अंग्रेज अपने औपनिवेशिक साम्राज्य का औचित्य सिद्ध करना चाहते थे, अतः उन्होंने भारतीय सभ्यता की कमजोरियों को उजागर कर, उनकी रूढ़िवादी परंपराओं की आलोचना की। और यह सिद्ध करना चाहा कि भारतीय असभ्य है और उनकी स्थिति केवल अंग्रेज शासक वर्ग ही सुधार सकता है।

कई अन्य देशों की तुलना में भारत में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। महिलाओं में भी शिक्षा और चेतना की कमी रही और इस भेदभाव को वे सही मानकर स्वीकार करती रही।

© BSTBPC WEB COPY NOT TO BE PUBLISHED

अपनी दयनीय एवं हीन स्थिति को उन्होंने अपना भाग्य माना एवं हर प्रकार के बंधन एवं रूढ़ियों को स्वीकार किया।

महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के उपाय तब शुरू हुए जब अंग्रेजों द्वारा इन प्रथाओं की आलोचना की गई, जिसमें जेम्स मिल जैसे विद्वान मुखर रहे। चूँकि यह विचार नकारा नहीं जा सकता था इसलिए कुछ शिक्षित भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और सुधार के प्रयास प्रारंभ हुए। समाज सुधार के इन उपायों के केन्द्र में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाते हुये उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थिति तक पहुँचाना था। कुछ अमानवीय परंपराओं को समाप्त करने का एक दृढ़ संकल्प लिया गया जिसके अग्रणी राजा राम मोहन राय माने जाते हैं।

यधपि महिलाओं की स्थिति में सुधार के उपाय प्रारंभ हुए पर उसकी सीमा निर्धारित रही एवं उनको मिलने वाले अधिकारों की सीमा भी पुरुष सुधारकों के द्वारा ही तय की गई। इन बाध्यताओं और इस प्रकार के सीमित उद्देश्य होने के बावजूद महिलाएँ लाभान्वित हुईं। कुछ कुप्रथाओं का घोर विरोध हुआ और उन संकीर्ण विचारों को दूर करने के लिए शिक्षा पर बल दिया गया। पढ़े–लिखे भारतीयों को भी यह बोध हुआ कि सामाजिक सुधार, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने में महिला उत्थान एक आवश्यक कदम था। अतः इनके विकास में रूकावटों का अन्त जरूरी था।

इस क्रम में रूढ़िवादी विचार से उत्पन्न संकीर्ण मानसिकता को दूर करने को प्राथमिकता दी गई। एक नई चेतना जगाने के प्रयास किए गए जो सामाजिक दोष को हटा सके। रूढ़िवादी एवं संकुचित विचारधारा केवल शिक्षा के द्वारा समाप्त की जा सकती थी, अतः महिला शिक्षा पर बल दिया गया। ताकि एक उदारवादी एवं प्रगतिशिल दृष्टिकोण समाज में बन सके। इसी संदर्भ में शिशु हत्या, सती प्रथा जैसी अमानवीय पद्धतियों पर रोक लगाने की बात भी उठाई गयी और बहु विवाह, पर्दा प्रथा एवं विधवाओं के पुनर्विवाह पर रोक आदि को बदलने की कोशिश हुई।

हमें यह समझना होगा कि समाज सुधार के क्रम में यह प्रयास महिलाओं की स्थिति में

© BSTBPC WEB COPY NOT TO BE PUBLISHED

सुधार लाने के महत्वपूर्ण प्रयास थे परन्तु नारी उत्थान के प्रश्न पर अभी इनमें जोर नहीं दिया गया था। महिलाओं को समाज में समानता का अधिकार मिले, ऐसे विचार की कमी हम इस पूरे संदर्भ में पाते हैं। इसलिए इन बदलती परिस्थितियों में भी महिलाएँ मूल अधिकारों से वंचित रहीं। मुख्यतः पैतृक संपत्ति पर अधिकार की बात लंबे समय तक उठाई ही नहीं गई।

सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को शामिल करने के उपाय प्रारंभ किए गए। परंतु इनका प्रभाव उच्च वर्ग की महिलाओं तक ही सीमित रहा। जब उन्नीसवीं सदी में समाज सुधारकों के द्वारा महिलाओं के लिए शिक्षा के प्रयास हुए तो उनका प्रभाव सीमित रहा। फिर भी उस समय की परिस्थितियों में यह एक सराहनीय प्रयास था।

उच्च वर्ग की महिलाएँ शिक्षित होते हुए भी रोजगार से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ी गईं। जबकि निम्न वर्ग की महिलाओं को शिक्षा से वंचित रख कर उन्हें भी आर्थिक भागीदारी से दूर रखा गया। महिलाओं को शिक्षित तो बनाया गया पर रोजगार से उनकी शिक्षा को हाल के वर्षों तक जोड़ा नहीं गया था, अब इस कमी को समाज से हम दूर होते हुए पा रहे हैं।

समाज सुधारक ज्योतिराव फूले की पत्नी सावित्रि बाई फूले ने महिला समानता के प्रश्न को उठाया एवं 'बहुजन समाज' की स्थापना उनके द्वारा हुई। इस दंपत्ति के द्वारा निम्न वर्ग की महिलाओं के अधिकार की बात उठाई गई। लेकिन संपूर्ण समाज सुधार आंदोलन के क्रम में उच्च वर्ग की महिलाओं की समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया गया।

सती प्रथा पर विवाद

उन्नीसवीं शताब्दी के हिन्दु समाज में विधवाओं को भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था। जिसमें सबसे कठोर सती प्रथा थी इसमें विधवा को उनके पति की चिता के साथ जला

© BSTBPC WEB COPY NOT TO BE REPUBLISHED

दिया जाता था। दुर्भाग्यवश कुछ लोग समझते थे कि इस अमानवीय परंपरा को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी। जबकि वास्तव में यह विधवा स्त्रियों को संपत्ति एवं उत्तराधिकार के अधिकारों से वंचित करने का एक उपाय था।

ऐसी बर्बर प्रथाओं को समाप्त करने की पहल इस समय के पश्चिमी विचारकों द्वारा की गई, जिसने भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग को भी झकझोर दिया। समाज में ऐसी मानसिकता बनी हुई थी कि एक 'सती' होने वाली महिला को सदाचारी माना जाता था। इस समय बहु विवाह एवं बाल विवाह का भी प्रचलन था इसलिए सती होने वाली महिला प्रायः कम आयु की वह महिलाएँ होती थीं, जिनका विवाह वृद्ध एवं अधेड़ पुरुषों से होता था।

समाज में सती प्रथा विरोधियों एवं समर्थकों के बीच अंतर्द्वन्द्व जारी था।

चित्र 1 – सती प्रथा

सती विरोधी– महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया? यह कैसे माना जा सकता है कि उनमें समझ नहीं होती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीजों को ग्रहण न कर पाए तो उसे अक्षम मान सकते हैं पर अगर महिलाओं को पढ़ने का अवसर ही नहीं मिलेगा तो उन्हें कमतर कैसे कहा जा सकता है।

सती समर्थक– औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती है पर वह धधकती आग से भाग न निकले, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कस कर बाँध देते हैं।

इस कुप्रथा की समाप्ति की पहल राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई। चूँकि कट्टरपंथी वर्ग सती प्रथा का सर्मथन कर रहे थे, इसलिए राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में यह राजाराम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की। ब्रह्म समाज के द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार की प्रक्रिया अपनाई गई, जैसे सती प्रथा पर रोक, महिलाओं की शिक्षा पर बल, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन, अंतर्जातीय विवाह को समर्थन, बाल विवाह का विरोध इत्यादि।

राजा राममोहन राय (1772–1833)

राजा राममोहन राय आधुनिक युग के प्रणेता थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। यह संगठन महिलाओं के लिए समानता के अधिकार का पक्षधर था। अतः उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए राममोहन राय ने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार को प्रोत्साहन दिया। कई भाषाओं के ज्ञाता, (संस्कृत, फारसी, यूरोपीय भाषाओं का ज्ञान) होने के कारण विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन कर उन्होंने यह पाया कि सभी धर्म में सद्गुण हैं। अतः राम मोहन राय अत्यन्त उदारवादी विचारधारा के पक्षधर रहे।

चित्र 2 – राजा राममोहन राय

© BSTBPC WEB COPY, NOT TO BE PUBLISHED

राममोहन राय ने इस अभियान के लिए जो तरीका अपनाया उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वह किसी कुप्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से उदाहरण यह प्रमाणित करने के लिए प्राप्त करते थे कि ऐसी परंपराओं को धार्मिक ग्रंथों में मान्यता प्राप्त नहीं है।

यद्यपि ब्रह्म समाजियों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी। फिर भी वह तर्कवाद एवं सामाजिक सुधार की नई भावना के प्रतिनिधि थे। उन्होंने जाति प्रथा की कठोर व्यवस्था पर भी प्रहार किया। समाज में स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास किए, शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य किया एवं संपत्ति में भी उत्तराधिकार महिलाओं को मिले ऐसे विचारों को प्रस्तुत किया। राममोहन राय द्वारा सुधार शुरू किए गए और उनके दूसरों समर्थकों में केशव चंद सेन द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाया गया। इस प्रकार के आंदोलन ने देश के अन्य भागों में सुधार की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया।

प्रार्थना समाज

प्रार्थना समाज का गठन पश्चिम भारत में हुआ जहाँ एम.जी. राणाडे ने समाज सुधार का बीड़ा लिया जो मूलतः महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के उपाय में जुटे थे। जब 1882 में पंडिता रमाबाई सरस्वती पश्चिम भारत पहुँची तथा राणाडे की सहायता से आर्य महिला समाज का गठन हुआ जिसका मूल उद्देश्य महिला जागरूकता एवं उनका उत्थान रहा। भारत महिला परिषद् का गठन हुआ जिसके पहले सम्मलेन में लगभग 200 महिलाओं ने हिस्सा लिया।

ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं विधवा पुनर्विवाह–(1820–91)

प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में विधवा विवाह के पक्ष में

© BSTBPC WEB COPY NOT TO BE PUBLISHED

आंदोलन चलाया गया जिसके लिए उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। ऐसा करते हुए वह वास्तव में ऐसे सामाजिक प्रचलन को समाप्त करना चाहते थे जिसपर धर्म की मुहर लगा दी गई थी। राजा राम मोहन राय की तरह ईश्वरचंद्र ने भी धर्म के वास्तविक रूप को इन सुधारों का आधार बनाने का प्रयास किया ताकि ये सामाजिक बदलाव धर्म विरोधी नहीं लगे।

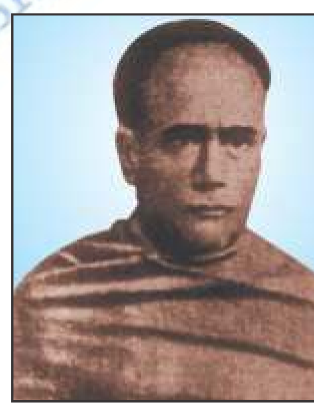

चित्र 3 – ईश्वर चंद्र विद्यासागर

ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनर्विवाह का मान्यता प्रदान करवाने का श्रेय दिया जाता है। अंग्रेज सरकार के तत्कालीन गवर्नर लार्ड डलहौजी ने उनके सुझाव को मानते हुए वर्ष 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। विधवा पुनर्विवाह को एक वैधानिक मान्यता तो प्राप्त हुई पर सामाजिक स्वीकृति के लिए लंबे समय तक कठिन परिस्थिति बनी रही। विधवा विवाह के विरोधियों ने ईश्वरचंद्र का भी बहिष्कार किया।

विद्यासागर के प्रयासों ने सुधार की प्रवृति को एक नया बल दिया जिसके आधार पर बाद में 'ऐज ऑफ कन्सेंट' (सहमति आयु विधेयक) लागू हुआ जिसने भारतीय परंपराओं का कड़ा विरोध किया। केशव चंद्र सेन ने इस कार्य को आगे बढ़ाया जिसके परिणामस्वरूप 'नेटिव मैरेज ऐक्ट' पारित हुआ। इस कानून ने बहु विवाह का विरोध किया और विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 14 वर्ष एवं लड़कों के लिए 18 वर्ष रखी। पर जब केशव चंद्र सेन ने अपनी अल्पायु बेटी का विवाह किया तब भारतीय समाज में मौजूद विसंगतियाँ सामने आईं। ब्रह्म समाज एवं आर्य समाज ने भी अपने संगठनों के द्वारा स्त्री उत्थान से संबंधित विषयों को पूर्ण समर्थन दिया।

रमाबाई

संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिन्दू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊँची जातियों की हिन्दू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी

लिखी थी। उन्होंने पूणा में एक विधवा गृह की स्थापना की जो विधवाओं को स्वावलंबी बना सके, यह शारदा सदन के नाम से जाना गया। रमाबाई ने बाद में 'ईसाई धर्म ग्रहण किया एवं विधवा होने के बावजूद पुनर्विवाह किया, जिससे रूढ़िवादी खेमे के लोग असंतुष्ट हुए और उन्हें उस सम्मान से वंचित किया जो एक विद्वान को मिलना चाहिए था।

चित्र 4 – पंडिता रमाबाई

स्वामी दयानंद सरस्वती (1824–1875)

स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने सामाजिक असमानता को दूर करने के हर संभव प्रयास किए जिनमें मूल रूप से महिला उत्थान के लिए शिक्षा पर बल दिया गया। आर्य समाजी बाल विवाह का विरोध और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते थे। वेदों को परमसत्य मानते हुए स्त्रियों के उत्थान तथा जातिप्रथा के बंधन को कमजोर करने में बहुत प्रभावकारी रहे ।

चित्र 5 – स्वामी दयानंद सरस्वती

स्वामी विवेकानंद–(1863–1902)

स्वामी विवेकानंद ने भारत के पिछड़ेपन और अवनति के लिए अपनी 'गुलामी' अशिक्षा और भविष्य के प्रति निराशा'को जिम्मेदार माना। अपने देशवासियों की कमजोरियों के प्रति संकेत करते हुए विवेकानंद ने महिला उत्थान के लिए शिक्षा का माध्यम ही अपनाया। शिक्षा के प्रसार से ही वह महिलाओं की गरिमा को बनाए रखना चाहते थे, जिससे भारतीय संस्कृति का आदर पश्चिमी जगत में

चित्र 6 – स्वामी विवेकानंद

© BSTBPC WEB COPY NOT TO BE REPUBLISHED

स्थापित हो सके। 1893 ई. में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए भारत की गूढ़ दार्शनिकता का प्रभाव स्थापित करने में उन्हें सफलता मिली।

सैयद अहमद खाँ

अल्पसंख्यक समुदाय के बीच भी महिलाओं की स्थिति में सुधार के कई प्रयास हुए एवं कई संगठन कायम किए गए। मुसलमान समुदाय में जागरण की शुरुआत उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में सर सैयद अहमद खाँ(1817–98 ई.) द्वारा हुई। इस्लामी समुदाय में सुधार लाने के दृष्टिकोण से वे शिक्षा के विस्तार में लगे महिला उत्थान के क्रम में सैयद अहमद ने बहु विवाह, पर्दा प्रथा तथा तलाक के परंपरागत नियमों में आधुनिकता के अनुसार संशोधन के विचार सुझाए पर शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा लड़कों को प्राथमिकता मिली। इस कमी को शेख अब्दुल्ला ने पूरा करने का प्रयास किया और महिला शिक्षा पर बल दिया। मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर बताया कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए।

चित्र 7 – सैयद अहमद खाँ

नौरोजी फरदूनजी

पारसी समुदाय में भी स्त्रियों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण प्रयास प्रारंभ किए गए। पारसी समाज के दादा भाई नौरोजी (1825–1917 ई.) और नौरोजी फरदूनजी (1817–1885 ई).दोनों ने मिलकर 'रास्त गोफ्तार' नामक पत्रिका शुरू की। दोनों ने ही शिक्षा के प्रसार के लिए, विशेषकर कन्याओं की शिक्षा के लिए अथक प्रयास किए। नौरोजी परिवार के सहयोग से पारसी समुदाय के अंतर्गत 'स्त्री जरतोश्ती मंडल' का गठन हुआ। 1903 ई. के आने तक लगभग 50 महिलाओं को इस संगठन के साथ जोड़ा गया। इस संगठन को लगभग 36 वर्षों तक सेरेनमाई एम. कुरसेत जी की अध्यक्षता में चलाया गया।

चित्र 8 – नौरोजी फरदूनजी

इन्हें भी जानें

शेख अब्दुल्लाह और उनकी पत्नी बेगम वाहिद जहाँ के द्वारा अलीगढ़ कन्या विद्यालय खोला गया जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक महाविद्यालय में परिवर्तित हुआ।

बेगम रूकैया सखावत हुसैन ने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले।

डा. बी.सी. राय (बंगाल के प्रथम मुख्य मंत्री) की माता अघोर कामिनी देवी के द्वारा लड़कियों के लिए बाँकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना कर, यहाँ के रूढ़िवादी तबके के विरोध के बावजूद पटना में कन्याओं के लिए शिक्षा के नए आयाम स्थापित किए। यह विद्यालय फरवरी 1867 में केवल 6 छात्राओं से प्रारंभ हुआ और आज बिहार की राजधानी में इस शिक्षण संस्थान की अपनी पहचान है। इन्होंने शिल्पकला को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना भी की। इसके अलावा अन्य कन्या पाठशालाएँ भी खोली गईं जिनमें रविंद्र बालिका विद्यालय (1931) की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर की बेटी ने की। माधुरीलता देवी ने 1903 में मुजफ्फरपुर में चैपमैन गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। ये सभी विद्यालय आज भी कन्या शिक्षा के विस्तार में अपना योगदान दे रहे हैं। निम्न जाति की कन्याओं के लिए भी बिहार में 1910 से 1945 के बीच पटना, मुंगेर, जमालपुर, गया इत्यादि शहरों में स्कूल खोले गए। बिहार में नारी शिक्षा के क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाईटी और कबीरपंथ की भी सराहनीय भूमिका रही। रामकृष्ण मिशन की शाखाएँ 1922 ई. में पटना एवं देवघर में स्थापित हुई। 1882 ई. तक थियोसोफिकल सोसाईटी ने भागलपुर, गया, आरा, पटना में प्रार्थना सभा और शिक्षण संस्थाएँ खोली जो आज जीर्ण अवस्था में हैं।

बाल विवाह एवं विवाह की उम्र

चित्र 9 – केशव चंद्र सेन

वर्ष 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की का विवाह नहीं हो सकता था। बाद में यह उम्र बढ़ाकर

© BSTBPC WEB COPY NOT TO BE PUBLISHED

क्रमशः 21 साल व 18 साल कर दी गई।

इन्हें भी जानें

केशव चंद्र सेन के द्वारा ऐतिहासिक 'स्पेशल मैरिज बिल' वर्ष 1871 का ड्राफ्ट पटना में तैयार हुआ था।

शिशु हत्या का प्रचलन विशेषकर भारत के उत्तर एवं पश्चिमी क्षेत्र में था। इस अमानवीय परंपरा को 1870 में अवैध घोषित किया गया। 1870 के एक विशेष अधिनियम के द्वारा इस अपराध को प्रभावशाली ढंग से समाप्त किया गया ।

1861 के अधिनियम ने दहेज को अवैध घोषित किया पर यह प्रथा आज भी प्रचलित है जो महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करता है।

उन्नीसवीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएँ भी अपनी स्थिति में सुधार के लिए आगे बढ़ीं। उन्होंने किताबें लिखीं, पत्रिकाएँ निकालीं, स्कूल और प्रशिक्षण केन्द्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। ऐसे अन्य कई राष्ट्रीय महिला संगठन स्थापित हुए जिनमें राष्ट्रीय महिला परिषद्, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (A.I.W.C.) जैसे महिला मोर्चों को तैयार किया गया, जो महिलाओं के बीच जागरूकता फैलाने का कार्य भी कर रही थी।

समाज सुधार आंदोलन ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने की पहल की। उनके द्वारा विशेषकर सती प्रथा, कन्या शिशु हत्या, बहु–विवाह, बाल–विवाह, जैसे सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने के लिए शिक्षा के माध्यम को अपनाया गया। उनके अनुसार केवल शिक्षा ही ऐसी असमानता, रूढ़ी और दकियानुसी विचारों को दूर कर सकती थी, जिसने महिलाओं को समाज में अपनी भागीदारी देने से वंचित रखा था।

महिलाओं से जुड़े ऐसे गंभीर व संवेदशनशील विषय को उन्नीसवीं सदी में स्वीकार

© BSTBPC WEB COPY NOT TO BE PUBLISHED

किया गया, इस प्रयास को छोटा नहीं माना जा सकता है। बीसवीं सदी की शुरुआत से वह महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनैतिक दबाव बनाने लगी थी। ऐसी संस्थाएँ आज बहुत सक्रिय हैं और ऐसी बहुत सी सुधार योजनाएँ राज्य के द्वारा संपोषित भी हैं। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक से विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में भी हिस्सा लिया। महात्मा गाँधी ने पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी पर बल दिया एवं उनमें एक नया आत्मविश्वास जगाया। जवाहर लाल नेहरू ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया।

बिहार में – बालिका साईकिल योजना ने भी कन्याओं के शिक्षा दर को आगे बढ़ाया है।

पंचायती व्यवस्था में– बिहार में 50 प्रतिशत आरक्षण की पहल, महिला सशक्तिकरण की ओर उठाया गया एक ठोस कदम माना जाता है।

अनेक समाज सुधारकों ने महिलाओं के प्रति अपनाई गई असंवेदनशील परंपराओं को नकारा। उनके द्वारा महिलाओं के प्रति सहानुभूति रखी गई। विधवाओं को समाज में समानता और जीने के पूर्ण अधिकार के लिए इन्होंने प्रयास किया। सतिप्रथा के अमानवीय स्वरूप का घोर विरोध किया गया। बहु–विवाह, बाल–विवाह जैसे अप्रासंगिक प्रचलन को भी समाप्त करने के उपाय किए गए। पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीति को भी समाप्त करने का आह्वान महिलाओं ने किया, जो इस काल की बड़ी उपलब्धि थी।

पर्दा प्रथा के द्वारा महिलाओं पर सामाजिक प्रतिबन्ध लगाया गया था। ऐसी परंपरा को

© BSTBPC NOT TO BE REPUBLISHED
WEB COPY

तोड़ने का आह्वान महिलाओं द्वारा किया गया, जो इस काल की एक बड़ी उपलब्धि है। चूँकि महिला को पहली बार समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर मिला एवं महिलाओं के प्रश्न पर मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया गया। हालाँकि महिलाओं की स्थिति में सुधार के उपायों में कुछ कमी पाई गई जिससे ये प्रयास उच्च वर्ग की महिलाओं तक ही सीमित रहा।

बीसवीं सदी के आने तक जागरूकता की लहर महिला समाज तक पहुँच चुकी थी जिन्होंने स्वयं अपने अधिकारों के संघर्ष को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया, चूँकि पुरुषों के द्वारा केवल उनकी स्थिति में सुधार के उपाय किये गये थे ये उपाय भी सीमित एवं अपर्याप्त पाये गये चूँकि नियंत्रण और सीमित उद्देश्य पर आधारित ये आंदोलन समय के साथ कम लगने लगे। महिलाओं ने अब स्वयं अपने उत्थान के साथ समानता के अधिकार प्राप्ति के लिए अपने संघर्ष को आज भी बनाए रखा है।

वर्तमान समय में भी महिलायें अपने उत्थान तथा समानता के अधिकारों के प्रति काफी सजग हैं। उनकी जागरुकता ने सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराया है।

अभ्यास

आइए फिर से याद करें–

सही विकल्प को चुनें

(I) स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्नचिह्न लगाया गया?

(क) अंग्रेजों के द्वारा (ख) भारतीय शिक्षितों के द्वारा

(ग) महिलाओं के द्वारा (घ) निम्न वर्ग के प्रणेताओं के द्वारा

© BSTBPC WEB COPY NOT TO BE PUBLISHED

(ii) शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित रहा?

(क) निम्न वर्ग (ख) मध्यम वर्ग

(ग) उच्च वर्ग (घ) इनमें से कोई नहीं

(iii) कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ?

(क) 1826 (ख) 1827 (ग) 1828 (घ) 1829

(iv) विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया?

(क) ईश्वर चंद्र विद्यासागर (ख) दयानन्द सरस्वती

(ग) राजाराम मोहन राय (घ) सैयद अहमद खाँ

(v) बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ?

(क) 1926 (ख) 1927 (ग) 1928 (घ) 1929

आइए विचार करें–

(i) महिलाओ मे ंअसमानता की स्थिति मुख्यत: किन कारणों से थी?

(ii) सती प्रथा पर किस प्रकार का विवाद रहा? सती विरोधी एवं सती समर्थक विचारों को लिखें

(iii) राजा राम मोहन राय के द्वारा महिलाओं से संबंधित किस समस्या के खिलाफ आवाज उठाया गया?

(iv) ईश्वर चंद्र विद्यासागर के महिला सुधार में योगदानों की चर्चा करें।

(v) स्वामी विवेकानन्द ने महिला उत्थान के लिए कौन–कौन से उपाय सुझाए?

© BSTBPC WEB COPY, NOT TO BE PUBLISHED

आइए करके देखें–

(i) महिलाओं में साक्षरता बढ़ाने के लिए आपके विचार से क्या प्रयास किये जाने चाहिए? वर्ग में सहपाठियों से चर्चा करें।

(ii) महिला उत्थान के लिए चलाये जाने वाले सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी एकत्र कर उसकी एक सूची बनाएँ।

© BSTBPC
WEB COPY ,NOT TO BE PUBLISHED